मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 11.8.2017

F-5(D)2/17/ई/चार
क्रमांक 1924 /2320/2017/ई/चार, विभागीय आदेश क्रमांक एफ-5(ए)/2/2017/ई/चार, दिनांक 4.7.2017 व्दारा श्री बिहारी लाल लुकमान लेखाधिकारी जिला पंचायत दतिया का स्थानांतरण प्रशासकीय आधार पर लेखाधिकारी जिला पंचायत मुरैना किया गया था। जिसके विरूद्ध श्री लुकमान के व्दारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में याचिका क्रमांक 4336/2017 दायर की गई। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 19.7.2017 को निम्नानुसार आदेश पारित कर श्री लुकमान व्दारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर एक माह के भीतर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

> **"Looking to the aforesaid contentions raised by the petitioner it is directed that in case petitioner files a fresh representation to the authority as are provided under transfer policy, within a period of seven days from today,then said authority shall consider the ground of disability and petitioner's superannuation within one year from the date of issuance of transfer order, and pass a speaking order within a period of thirty days. Till then if the petitoner is not relieved,the parties shall maintain status quo as it exists today."**

2/ श्री बिहारी लाल लुकमान व्दारा माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.7.2017 के परिप्रेक्ष्य में अभ्यावेदन दिनांक 21.7.2017 आयुक्त कोष एवं लेखा को प्रेषित किया गया। आयुक्त कोष एवं लेखा ने श्री लुकमान का आवेदन पत्र संलग्न करते हुए बताया कि श्री लुकमान ने अपनी विषम परिस्थितियों यथा विकलांगता एवं सेवानिवृत्ति हेतु अल्पावधि (एक वर्ष लगभग) को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी जिसमें माननीय न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए श्री लुकमान के अभ्यावेदन पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। जिसे आयुक्त कोष एवं लेखा ने एकल नस्ती के माध्यम से शासन को भेजते हुए श्री लुकमान का जिला पंचायत दतिया से जिला पंचायत मुरैना किया गया स्थानांतरण निरस्त करने की अनुशंसा की गई।

3/ माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.7.2017 के परिप्रेक्ष्य में श्री लुकमान व्दारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं आयुक्त कोष एवं लेखा व्दारा की गई अनुशंसा के आधार पर समग्र रूप से विचार किया गया। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये श्री बिहारी लाल लुकमान का जिला पंचायत दतिया से जिला पंचायत मुरैना किया गया स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। श्री लुकमान यथावत लेखाधिकारी जिला पंचायत दतिया के पद पर पदस्थ रहेंगे।

4/ विभागीय आदेश दिनांक 16.7.2017 तथा संशोधन आदेश दिनांक 8.8.2017 व्दारा श्री रामकुमार वर्मा, लेखाधिकारी,लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू.जबलपुर को श्री लुकमान के स्थान पर पदस्थापना लेखाधिकारी जिला पंचायत दतिया किया गया है। चूँकि माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.7.2017 के अनुक्रम में श्री बिहारी लाल लुकमान को अपने वर्तमान पदस्थापना जिला पंचायत दतिया में निरंतर रखा जा रहा है। इससे दो लेखाधिकारी

-2-

की पदस्थापना हो जायेगी एवं जिला पंचायत मुरैना का महत्वपूर्ण पद रिक्त रह जायेगा। अतः उच्च न्यायालय के निर्देश के दृष्टिगत श्री रामकुमार वर्मा का लेखाधिकारी जिला पंचायत दतिया के पद पर किये गये आदेश को संशोधित कर जिससे न्यायालय के आदेश का पूर्ण अनुपालन हो, उन्हें लेखाधिकारी जिला पंचायत मुरैना के पद पर पदस्थ किया जाता है।

श्री वर्मा दिनांक 14.8.2017 को अनिवार्य रूप से लेखाधिकारी जिला पंचायत मुरैना में कार्यभार ग्रहण कर पालन प्रतिवेदन इस विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अनिरूद्ध मुकर्जी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठांकन एफ-5(ए)/2/2017/ई/चार,
भोपाल दिनांक // .8.2017

प्रतिलिपि :-

01. माननीय वित्त मंत्रीजी के विशेष सहायक,
02. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय,
03. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,वित्त के निज सहायक,
04. आयुक्त कोष एवं लेखा,म.प्र.भोपाल,
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुरैना/दतिया,
06. महालेखाकार,मध्यप्रदेश,ग्वालियर/भोपाल,
07. मुख्य अभियंता,लोक निर्माण विभाग,भोपाल,
08. संभागीय संयुक्त संचालक,कोष एवं लेखा,ग्वालियर,
9. संबंधित अधिकारीगण---
10. गार्ड फाईल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग